रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042020-219047
CG-DL-E-13042020-219047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2020/चैत्र 24, 1942
No. 190]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2020/CHAITRA 24, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम 01 सितंबर, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में : -

(क) नियम 2 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ख) "पैकेज" का अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) में उसका है;

(ख) अनुसूची में –

(i) पैरा-1 में, -

(क) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(i) लिखित स्वास्थ्य चेतावनी: धुएं और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों के लिए '**तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है**' शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे, और '**आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356**' शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे। लिखित स्वास्थ्य चेतावनी की पृष्ठभूमि में रंग की सघनता निम्नानुसार होगी:- सफेद: सी: 0%, एम: 0%, वाई: 0%, के: 0%, लाल: सी : 0%, एम : 100%, वाई 100%, के: 0%, और काला: सी: 0%, एम: 0%, वाई: 0%, के: 100%,। लिखित स्वास्थ्य चेतावनी चार रंगों के साथ और न्यूनतम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) के प्रिंटिंग के रसोल्यूशन के साथ मुद्रित की जाएगी। स्वास्थ्य चेतावनी के फोंट की प्रकृति एवं रंग वेबसाइट www.mohfw.gov.in या www.ntcp.nhp.gov.in पर अपलोड की गई फोंट प्रकृति एवं रंग के समान होंगे।"

(ख) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(ii) चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी:- स्वास्थ्य पर तम्बाकू सेवन से पड़ने वाले कुप्रभाओं का एक चित्रात्मक प्रतिरूप लिखित स्वास्थ्य चेतावनी के ऊपर लगाया जाएगा। यह चार रंगों के साथ और न्यूनतम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) के प्रिंटिंग के रसोल्यूशन के साथ मुद्रित की जाएगी। चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के रंग और रसोल्यूशन वेबसाइट www.mohfw.gov.in या www.ntcp.nhp.gov.in पर अपलोड की गई चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के रंग और रसोल्यूशन के समान होना चाहिए।"

(ii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2 विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होंगी-

(क) चित्र-1, इसके जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

चित्र-1

(ख) चित्र-2, चित्र -1 की विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगा ।

चित्र-2

(iii) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“4. भाषा:- प्रत्येक स्वास्थ्य चेतावनी अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होंगी। समुचित भाषा संयोजन का चयन वेबसाइट www.mohfw.gov.in या www.ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध संयोजन से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य चेतावनी के लिए चयनित भाषा निर्माता या आयातक या पैकर द्वारा पैकेट पर प्रयुक्त भाषा के अनुरूप है।”

टिप्पण : निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का सॉफ्ट या मुद्रण योग्य संस्करण वेबसाइटों www.mohfw.gov.in तथा www.ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध होगा।

[सं. पी-16012/03/2020-टीसी]

विकास शील, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 331(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2018 द्वारा उनका अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2020

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, section 8, sub-section (2) of section 9, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely: -

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2020.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, -

(a) In rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) “package” shall have the meaning as assigned to it in clause (i) of section 3 of the Act”;

(b) In the Schedule,

(i) in paragraph 1,-

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) Textual Health Warning- For smoking and smokeless forms of tobacco products, the words ‘TOBACCO CAUSES PAINFUL DEATH’ shall appear in white font colour on a red background and the words ‘QUIT TODAY CALL 1800-11-2356’ shall appear in white font colour on a black background. The intensity of colour in the background of the textual health warning shall be: White: C:0%, M:0%, Y:0% K:0%, Red: C:0%, M:100%, Y:100% K: 0% and Black: C:0%, M:0%, Y:0% K: 100%. The textual health warnings shall be printed with four colors with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The font type and colour of the health warning shall be exactly as uploaded on the website www.mohfw.gov.in OR www.ntcp.nhp.gov.in”

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) Pictorial Health Warning – A pictorial representation of the ill effects of tobacco use on health shall be placed above the textual health warning. It shall be printed with four colours with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The pictorial health warning should appear in the same colour and resolution exactly as uploaded on the website www.mohfw.gov.in OR www.ntcp.nhp.gov.in”

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"2. The specified health warnings shall be-

(a) Image-1, shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

Image- 1

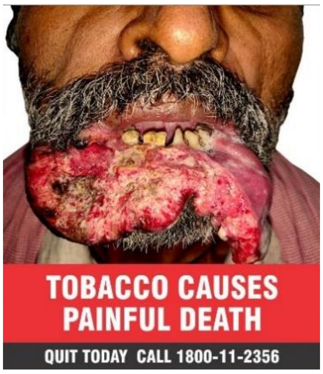

(b) Image-2, shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of Image-1.

Image- 2

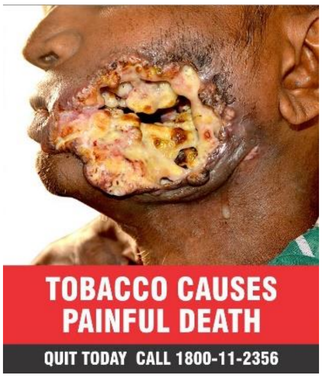

(iii) for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"4. **Language**

Each health warning shall be specified in English, Hindi and any other regional languages. Appropriate language combination shall be selected from the combination available at www.mohfw.gov.in and www.ntcp.nhp.gov.in to ensure that the language selected for health warning is in conformity with the language used on the package by the manufacturer or importer or packer."

Note : The soft or printable version of the specified health warnings shall be available on the websites www.mohfw.gov.in and www.ntcp.nhp.gov.in.

[No. P.16012/03/2020-TC]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 182(E), dated the 15th March, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 331(E), dated the 03rd April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2020.04.13 22:02:10 +05'30'